संख्या 3199/9-3-11-113सी/2011

प्रेषक,

विजय बहादुर सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-3

लखनऊः दिनॉकः 23 दिसम्बर, 2011

विषयः- उ0प्र0 जल निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-86/प्र-1/2005-0021/11, दिनांक 23-12-2011 तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1601/44-1-2011-90/2008, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल निगम निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 23-12-2011 को सम्पन्न बैठक में उ0प्र0 जल निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में पारित किये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 जल निगम में कार्यरत पूर्ण कालिक नियमित कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी जाय।

3. उक्त निर्णय इस प्रतिबन्ध के अधीन होगा कि अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के फलस्वरूप बढ़े हुए वित्तीय व्ययभार को जल निगम अपने संसाधनों से स्वयं वहन करेगा और इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की जायेगी।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपर्युक्त निर्णय के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम के कार्मिकों के अधिवर्षता आयु निर्धारण के सम्बन्ध में वर्तमान में लागू नियमों/विनियमावली/आदेशों को जल निगम द्वारा अपने स्तर पर तदनुसार संशोधित कर लिया जायेगा।

भवदीय

23/XII/2011

(विजय बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 3199 (1)/9-3-11-113सी/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. कार्मिक अनुभाग-2।
4. गार्ड फाईल हेतु

आज्ञा से,

(जी0सी0कठेरिया)
उप सचिव।